घोषणा प्रारूप

राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन

9 जनवरी 2026

एचकेएस सुरजीत भवन, नई दिल्ली – 110002

हम, दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच, देश में सभी मोर्चों पर लगातार बिगड़ती स्थिति पर विचार–विमर्श करने के लिए आज दिल्ली में मिल रहे हैं। यह सम्मेलन एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हो रहा है, जब केंद्र सरकार ने ट्रेड यूनियनों को नियंत्रित करने और कमजोर करने और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन को पूंजी के हमले के सामने निहत्था करने के लिए चार श्रम संहिताएं लाई हैं। भारतीय श्रमिकों ने श्रम संहिताओं को संसद में जबरदस्ती लाने और पारित करने के बाद से इस अवधि के दौरान 5 बड़ी आम हड़तालें कीं।

यह बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ध्रुवीकरण और नफरत के जहरीले अभियानों, सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले और उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के अंधे समर्थकों से भरने की चिंताजनक स्थिति की पृष्ठभूमि में आया है, जिसका संदिग्ध एजेंडा यूनियन बनाने, अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता के अधिकारों को खत्म करना है।

सरकार सभी रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं जैसे रेलवे, बंदरगाह और डॉक, कोयला खदानों, तेल, इस्पात, रक्षा, रोडवेज, हवाई अड्डों, बैंकों, बीमा, टेलीकॉम, डाक, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति आदि को भारतीय और विदेशी मूल के बड़े कॉरपोरेट्स को बेचने का अपना एजेंडा जारी रखे हुए है, जिससे स्वदेशी औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ रही है। साठ लाख खाली पदों को भरने, नियमित श्रमिकों को निजी कंपनियों में भेजने पर रोक लगाने, नए पद सृजित करने पर प्रतिबंध हटाने आदि की हमारी मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जब से आंदोलनकारी किसानों ने सरकार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिन्हें कृषि का कॉर्पोरेटीकरण करने और कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए जमीन हड़पने के लिए लाया गया था, सरकार किसानों के खिलाफ अलग–अलग रूपों में नीतियां अपना रही है। अभी भी कृषि क्षेत्र संकट में है, जिसके परिणामस्वरूप आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन हो रहा है।

आम लोगों को मिलने वाली बुनियादी सेवाओं की कीमत पर अत्यधिक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। बुनियादी सेवाएं चरमरा रही हैं और लोग दूषित पेयजल से मर रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यावसायीकरण लोगों के लिए एक गंभीर झटका है क्योंकि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

असमानता बढ़ने के साथ, बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन केंद्र में सत्ताधारी सरकार की मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यूनियन को रोकने और कमजोर करने के लिए, केंद्र सरकार ने स्टेकहोल्डर्स से बिना किसी सही सलाह–मशविरे या इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस किए बिना चार लेबर कोड पेश कर दिए। जब से ये लेबर

कोड संसद में लाए गए हैं, तब से यूनियनों ने इस दौरान 5 बड़ी हड़तालें की हैं, जबकि भारत एक राष्ट्र के तौर पर जिन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स का सिग्नेटरी है, उन्हें नजरअंदाज किया गया।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा पिछली आम हड़ताल 9 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। यह एक बड़ी आम हड़ताल थी जिसे संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन मिला और ग्रामीण भारत में भी बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाया गया। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, अन्य सामाजिक आंदोलनों के लोगों और पत्रकारों ने भी इस लामबंदी में समर्थन दिया और हिस्सा लिया। उस हड़ताल के मुद्दों में मजदूरों, किसानों और आम लोगों के मुद्दे शामिल थे। 26 नवंबर 2025 को भी मजदूरों और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लामबंदी के दिन के रूप में मनाया।

केंद्र सरकार ने लोगों की जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय, कॉर्पोरेट जगत में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी वर्गों पर हमले बढ़ा दिए हैं। बल्कि सरकार छोटे व्यवसायों और व्यापार, एमएसएमई (MSME), जो रोजगार का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, के नुकसान पर विदेशी कंपनियों को रियायतें और फायदा देने में व्यस्त है। ट्रंप की बढ़ी हुई टैरिफ घोषणाओं के बाद, सरकार विदेशी व्यापार में भारत के हितों को सरेंडर कर रही है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशन/एसोसिएशन के संयुक्त मंच की बैठक 22 दिसंबर 2025 को हुई थी। बैठक में 9 जुलाई 2025 की हमारी आम हड़ताल के बाद इस बीच की अवधि में संसद के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के खुले हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

सरकार ने 8 अक्टूबर को ड्राफ्ट श्रम नीति–श्रम शक्ति नीति–2025 जारी की और इसे टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा। एक बार फिर हितधारकों से बात किए बिना, यह नीति चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए लाई गई है और ट्रेड यूनियनों की भूमिका को खत्म करने, काम/श्रम को धर्म कहकर और अधिकार नहीं मानते हुए, सरकार की भूमिका को बदलने/त्यागने के स्पष्ट निर्देश के साथ लाई गई है। रेगुलेटर और कानूनों के पालन/प्रवर्तन से लेकर तथाकथित रोजगार सुविधा देने वाले की अस्पष्ट, धोखे वाली और अपरिभाषित भूमिका तक, और सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करने, बल्कि खत्म करने, प्रस्तावित राष्ट्रीय निकाय के साथ श्रम जगत में त्रिपक्षीयता को छोड़ने, केंद्र में शक्ति के केंद्रीकरण के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को हड़पने और निरीक्षण और अनुपालन आदि से छुटकारा पाने तक यह पूर्णतया श्रमिक विरूद्ध कार्य है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों जैसे मौलिक संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए, मसौदा नीति का दावा है कि इसने प्राचीन मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, शुल्क न्याय आदि से प्रेरणा ली है। केंद्रीय यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनों और संगठनों के संयुक्त मंच के तहत यूनियनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्रम संहिताएं 21 नवंबर को अधिसूचित की गई हैं, और सरकार इन संहिताओं के बारे में एक सकारात्मक सहमति बनाने के लिए अपनी सभी संस्थागत मशीनरी, मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने इन संहिताओं के लिए नियम अधिसूचित किए हैं, और इन्हें टिप्पणियों/सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा है। लेकिन श्रमिक, सरकार द्वारा एकतरफा थोपे जाने के खिलाफ लड़ने और संहिताओं को रद्द करवाने के लिए दृढ़ हैं। हम एक बार फिर मसौदा श्रम नीति पर चर्चा करने, चार श्रम संहिताओं को रद्द करने और श्रम सुधारों पर नई चर्चा के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को तुरंत बुलाने की मांग करते हैं। अधिसूचित श्रम संहिताएं और मसौदा नियम सामूहिक सौदेबाजी को कुचलने, हड़ताल के अधिकार को छीनने, लगभग 70 प्रतिशत कारखानों को श्रम कानून कवरेज, विनियमन और नियोक्ताओं के दायित्वों से बाहर करने, श्रमिकों को नियोक्ताओं की दया पर

छोड़ने, श्रमिकों के विशाल बहुमत को व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से बाहर करने के लिए हैं, ये सुलह/निर्णय प्रक्रियाओं के माध्यम से मौजूदा अधिकारों और वेतन सुरक्षा को वस्तुतः खत्म कर देंगे। वेतन की परिभाषा में ही बदलाव का प्रस्ताव है, ट्रेड यूनियन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव है ताकि यूनियन बनाने को बोझिल/असंभव बनाया जा सके, मनमाने ढंग से पंजीकरण रद्द करने और मान्यता रद्द करने, सामूहिक ट्रेड यूनियन गतिविधियों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक दंडात्मक कार्रवाई और नियोक्ताओं को अपनी मर्जी से अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करने का लाइसेंस दिया जा सके। कुल मिलाकर, श्रम संहिताएं सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके ट्रेड यूनियनों पर गुलामी की शर्तें थोपने, उनके कॉर्पोरेट मालिकों को श्रमिकों, लोगों और देश पर अपनी लूट जारी रखने की सुविधा देने के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन की गई हैं। सीटीयू की इस मांग के उलट कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीड़ी वर्कर्स, घर पर काम करने वाले वर्कर्स, घरेलू कामगारों वगैरह को ईएसआईसी और दूसरे सोशल सिक्योरिटी कवरेज में शामिल किया जाए, ये कोड थ्रेशहोल्ड बढ़ने और कानूनी गारंटी न होने की वजह से वर्कर्स को उनके मिले हुए अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

संसदीय प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है, सरकार विपक्ष की बेंचों से जरूरी चर्चा के बिना अपनी भारी बहुमत से बिल पास करवा लेती है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। चुनाव अधिनियम, 2023 भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को "कानूनी" रूप से खत्म करने का एक खुला उदाहरण है।

पिछले संसदीय सत्र में पास किए गए बिलों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- ★ "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) अधिनियम", जो निजी और विदेशी कंपनियों को मुनाफे के मकसद से अत्यधिक जोखिम भरे और खतरनाक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश करने की अनुमति देगा, इसने दुर्घटनाओं/आपदाओं की स्थिति में उपकरणों के विदेशी और राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही खत्म कर दी है – निश्चित रूप से, यह हमारे देश की परमाणु सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला है।
- ★ महात्मा गांधी एनआरईजी अधिनियम को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 से बदल दिया गया है। यह नया अधिनियम, जब लोग अत्यधिक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो अधिकार–आधारित ग्रामीण रोजगार गारंटी को केंद्रीय प्राधिकरण के विवेक से बदल देता है और वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल देता है। यह कटाई के मौसम के दौरान अधिनियम के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।
- ★ बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे व्यावहारिक रूप से विदेशी कंपनियों को घरेलू बीमा कंपनियों पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया है।
- ★ केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 संसद के दोनों सदनों में पेश किया है, हालांकि यह इस सत्र में पास नहीं हो सका।
- ★ सरकार ने मसौदा बीज विधेयक और मसौदा बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है। यदि ये विधेयक पेश और पास हो जाते हैं, तो इनका कृषि, घरेलू और एमएसएमई बिजली उपभोक्ताओं और हमारे देश के सार्वजनिक बिजली क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
- ★ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने उत्तरी भारत में मौजूदा पर्यावरणीय संकट, दिल्ली–एनसीआर में असहनीय प्रदूषण और खतरनाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गंभीर संज्ञान लिया, जिसने अरावली पहाड़ियों के लगभग 90% हिस्से को नष्ट करने की अनुमति दी थी, जो उत्तरी भारत को थार रेगिस्तान के विस्तार से बचाती रही हैं। समाज

के सभी वर्गों के कड़े विरोध का सामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, पहले के आदेश को वापस ले लिया और मामले की नए सिरे से जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

सेंट्रल ट्रेड यूनियन की मीटिंग में 12 फरवरी 2026 को "एक दिन की हड़ताल" करके केंद्र सरकार के मौजूदा शासन को एक कड़ा संदेश देने का फैसला किया गया था, जिसे हम आज वर्कर्स के नेशनल कन्वेंशन में औपचारिक रूप से मंजूरी दे रहे हैं।

अगर सरकार फिर भी कोड्स के तहत नियमों को लागू करने की कोशिश करती है और कोड्स को रद्द नहीं करती है, तो सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें कई दिनों की आम हड़ताल के साथ–साथ सेक्टर–वार विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, आम हड़ताल को बिना शर्त समर्थन देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को धन्यवाद देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) ने भी उसी दिन पूरी ताकत और विश्वास के साथ अपनी सेक्टर–वार नेशनल हड़ताल करने की घोषणा की है।

जनवरी और फरवरी 2026 के महीनों में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त बैठकें और कन्वेंशन आयोजित किए जाएंगे।

एसकेएम ने बीज विधेयक 2025, मसौदा बिजली (संशोधन) विधेयक 2025, वीबी–जीआरएजीएम अधिनियम, 2025 के खिलाफ और अन्य मांगों के समर्थन में 16 जनवरी 2026 को गांवों और ब्लॉक स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। सीटीयूज़ (CTUs) इस कार्रवाई में पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे।

सीटीयूज़ (CTUs) पूरे मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के अन्य वर्गों से आने वाली आम हड़ताल के लिए तैयार होने, बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू करने और अपने संगठनों को एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार करने का आह्वान करते हैं।

संसद परिसर में श्रम कोड्स का विरोध करते हुए इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का स्वागत करते हुए, हम उनसे और लोगों के विभिन्न अन्य वर्गों, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों से, मेहनतकश लोगों के बुनियादी अधिकारों को बचाने और देश के लोकतांत्रिक–धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने की रक्षा के लिए इस हड़ताल के समर्थन और एकजुटता में आगे आने का आह्वान करते हैं।

★ 12 फरवरी 2026 को नेशनल आम हड़ताल की ओर आगे बढ़ें।

★ बीज विधेयक 2025, बिजली (संशोधन) विधेयक 2025, वीबी–जीआरएजीएम अधिनियम, 2025 के खिलाफ और अन्य मांगों के समर्थन में 16 जनवरी को गांव और ब्लॉक स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाएं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों का संयुक्त मंच

इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी